512

संख्या : 249/XLI-1/2016–87/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (पौड़ी गढवाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII-I/2015 दिनांक 01.04.2015 व शासनादेश संख्या 1336/XXVII-I/2015 दिनांक 17.11.2015, शासन के आदेश संख्या 1331/XLI-1/2016–87/2014 दि0 18.12.2015 एवं आपके पत्र संख्या 4657/नि.प्रा.शि./लेखा/2015–16 दिनांक 30.01.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत 'आयोजनागत' पक्ष' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि **₹ 1575.00 हजार (₹ पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.04.2015 एवं 17.11.2015 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
   स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
3. यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संस्था द्वारा धनराशि को किसी भी दशा में आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि को बैंक खाते में रख कर व्याज अर्जित किया गया हो तो अर्जित व्याज की धनराशि को कम करते हुए शेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव ही शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

क्रमशः....2

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का ववरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को अनिवार्य रुप से प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
7. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–31' के 'आयोजनागत' पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2203–तकनीकी शिक्षा–00–105–बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय–03–सामान्य पॉलीटैक्निक" के मानक मद–12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण धनराशि 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र में 42–अन्य व्यय में 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. (संलग्नक–1) के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 01.04.2015 एवं 17.11.2015 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 249 (1)/XLI(1)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
संयुक्त सचिव।